विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडू राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अत: संविधान के अनुच्छेद 2000 व 2001 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्रप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकान्त, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंदुरकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुर में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्‌भुत व प्रशंसनीय है। सोलीसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपित सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नही कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025 त्रुटिपूर्ण था, जिसमें खण्डपीठ ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिये समय सीमा तीन माह तय की थी। इसी फैसले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिन्दुओं पर राय मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती

सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न 1 के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नही कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :-

"165.3: The discharge of the Governor's function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion."

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वत: मंजूरी (Deemed Assent) को संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथककरण के सिद्धान्त के विरूद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह् लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के कानून बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सचमुच में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय देना या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होग, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में सही सत्मार्ग है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग-2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेन्ट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतावलम्बियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोका जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वंय के लिए एक बडी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वंय अनुच्छेद 21 में शब्द 'स्पमि' की व्याख्या करते हुये माना है कि स्पमि यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जमानत की अर्जियों तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी ही जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बडे वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेशी तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा नं0 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अत: प्रश्न उठाया जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक

पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत

विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान

अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रहीं, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मज़बूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की 'मिसिंग लिंक' सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सरकार के विजन के अनुरूप 8,194 करोड़ की लागत से 6,249 किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों का विकास पूरा किया जा चुका है, जबकि 2,547 करोड़ की लागत से 8 राज्य राजमार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, जिला मुख्यालयों से संपर्क को सुगम बनाने के लिए 5,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। इसका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं की सहज पहुंच के रूप में दिखाई दे रहा है। डबल इंजन सरकार की नीतियों के अनुरूप राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। अब तक 600 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि 457 किलोमीटर सड़कों पर कार्य प्रगति पर है।

रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 10 आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) और 14 आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं 33 आरओबी और 14 आरयूबी पर कार्य जारी है। इसके साथ ही, 11 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है तथा 15 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इन संरचनाओं ने न केवल सड़क सुरक्षा को मज़बूती दी है, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत भी सुनिश्चित की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 तक राजस्थान का कुल सड़क नेटवर्क 3,17,121 किलोमीटर तक पहुंच गया है। सड़क घनत्व अब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 92.66 किलोमीटर तक बढ़ चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य के हर हिस्से में कनेक्टिविटी और पहुंच में गुणात्मक सुधार हुआ है।

राज्य में कुल 39,408 गांव अब सड़कों से जुड़े हैं। वहीं 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्ग को उच्च गति यात्रा के लिए उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 17,376 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 2,06,318 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें सक्रिय हैं।

यह नेटवर्क न केवल राजस्थान के आंतरिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों से निर्बाध संपर्क भी सुनिश्चित कर रहा है। राजस्थान की सड़क नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दृष्टिकोण व्यापक है - यह समठा विकास का माध्यम बन चुकी है। बेहतर सड़कें व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों के लिए आधारशिला सिद्ध हो रही हैं। गांवों से मंडियों तक उत्पादों की सुगम आवाजाही से किसानों की आमदनी बढ़ी है। उद्योगों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होने से निवेश और रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि सड़कें विकास की धमनियां हैं। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। सड़क निर्माण में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान के परिणामस्वरूप राजस्थान में न केवल सड़क तंत्र मजबूत हुआ है, बल्कि लोगों के जीवन में सहजता, सुरक्षा और सुगमता आई है। सड़कों के इस सुविचारित नेटवर्क ने प्रदेश को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुका है।

राजस्थान आज उस दिशा में अग्रसर है जहां सड़कें केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बन गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का सड़क तंत्र मज़बूती, सुरक्षा और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित कर रहा है। सड़क से विकास की दिशा निकलती है और राजस्थान इस दिशा में देश के अठाणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सड़कों पर दौड़ते वाहन अब केवल यातायात का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने की यात्रा का हिस्सा हैं।

अलका सक्सेना,
अतिरिक्त निदेशक सेनि.,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
राजस्थान

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं

रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखी और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेटियों की जीवनलीला दहेज के दानव ने समाप्त कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले दहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाइटर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थी। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ दहेज को लेकर अक्सर मार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह पूरा किया। अब उससे 35 लाख रुपये लाने की बात कही जा रही थी। अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की जहां सरकारी स्कूल की एक व्याख्याता ने अपनी तीन साल की मासूम और अबोध बच्ची को गोद में बिठाकर अपने को आग के हवाले कर दिया। उस बच्ची को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां उसे गोद में क्यों बिठा रही थी। संजू के पिता ओमाराम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए लिखा है कि संजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कार के अलावा भी उनकी बहुत सी मांगें पूरी की थीं। लेकिन उनकी और मांगों की सूची खत्म नहीं हो रही थी और इसके लिए संजू को प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि बच्ची के जन्म के बाद स्थितियां और खराब हो गई थीं। पुलिस को भी संजू का आत्महत्या नोट मिला है जिसमें उसने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संजू की आत्महत्या के समय घर पर कोई नहीं था।

दोनों ही दुर्घटनाओं से मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। निक्की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। वह अपना पार्लर चलाती थी। संजू सरकारी नौकरी कर रही थी। दोनों ही परिपक्व उम्र की थीं। फिर भी वे दहेज के लिए अत्याचार क्यों सह रही थीं? निक्की और संजू के माता पिता क्यों बार बार लड़के वालों की दहेज की मांग को पूरा कर रहे थे? उन्होंने उन्हें अपने पास वापस क्यों नहीं बुला लिया? क्यों नहीं निक्की और संजू या उनके पीहर वालों ने घरेलू हिंसा और दहेज के मामले में पुलिस को शिकायत की? अब जबकि निक्की और संजू की मौत हो गई है और उनके पीहर वाले दहेज का मामला दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी दहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि दहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजू के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेटियों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल किताबी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है? फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि लड़के और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें दहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पाती?

हम समाज क्या कहेगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। दहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने चाहिए। क्यों उन्हें अपनी बेटी की मौत के बाद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराना याद आता है?

क्यों दहेज की मांगों को वे सिरे से खारिज नहीं कर देते? क्यों शादी के बाद भी बरसों तक वे बेटी के ससुराल वालों की मांग पूरी करते रहते हैं? क्यों वे अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देते हैं कि बेटी अपने घर वापस आकर नये सिरे से अपने जीवन की शुरूआत कर सकें क्यों विदा करते समय वे यह नहीं कहते कि यह घर आज भी तुम्हारा उतना ही अपना है जितना पहले था? कभी भी किसी भी समय उसे अपने इस घर में आने का साहस भर कर क्यों विदा नहीं करते अपनी बेटियों को? क्यों वे नहीं कहते - हम हैं हमेशा तुम्हारे साथ। ये पांच शब्द बेटियों को बहुत हिम्मत दे जाते हैं। इसके विपरीत हमारे यहां विदा करते समय कहा जाता है अब वही तुम्हारा घर है। उस घर की मान, मर्यादा और इज्जत का खयाल तुम्हें ही रखना है। अब समय आ गया है कि शादी के बाद पीहर से विदा करते समय हम लड़कियों को किसी भी परिस्थिति में पीहर के साथ का वादा करें। उन्हें यह भरोसा दिला कर भेजें कि इस घर पर उसका पहले जितना ही हक है। हम यह अच्छी तरह समझ लें कि दहेज देकर खरीदा गया लड़का किसी भी हालत में अच्छा और सुसंस्कृत लड़का नहीं हो सकता। शादी के समय बेटी को दिए जाने वाले उपहार और दहेज के अंतर को जरूर समझ लें।

- रचना सिद्धा,
लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

■ **सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी**

उदयपुर, (का.सं.)। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक में यूरिया खाद को लेकर भारी भीड़ रही। वहां सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया। खाद को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हुई। मावली उपखंड के थामला गांव में थामला ग्राम सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीलरों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर खाद लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह से कतार में लगे किसानों का नंबर नहीं आने पर उनमें आक्रोश था।

अचानक बढ़ी भीड़ को देखते हुए और किसानों के आक्रोश के बीच मौके पर मावली पुलिस भी आई। बाद में पुलिस और समिति कर्मचारियों ने मिलकर किसानों को शांति से खाद वितरण कराने की अपील की लेकिन किसानों ने कहा कि वे सुबह से आए और 11 बजे गए लेकिन उनको खाद नहीं मिली।

राशिफल 28 नवम्बर 2025

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2082, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 2.50 तक, व्याघात योग गिन 11.05 तक, विष्टिकरण दिन 12.23 तक चन्द्रमा कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरु-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।

रवियोग रात्रि 2.50 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन 12.23 तक रहेगी। आज शनि मार्गी प्रात 9.25 पर होगा। आज दुर्गाष्टमी, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चट - सूर्योदय से 8.19 तक, लाभ अमृत 8.19 से 10.56 तक, शुभ 12.15 से 1.33 तक, चट 4.10 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल - 10.30 से 12.00 तक, सूर्योदय 7.00 सूर्यास्त 5.29

मेष

आर्थिक -वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा सम्भव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

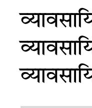

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

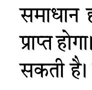

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

सिंह

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। आज परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

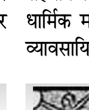

कन्या

कन्या - विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

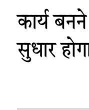

तुला

तुला - व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

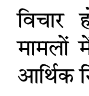

वृश्चिक

घर परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

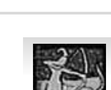

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों-रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

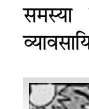

मकर

मकर - आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी।

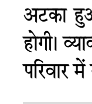

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य में सफलता से मनोबल आत्मविश्वास बडेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

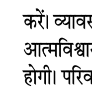

मीन

घर-परिवार के कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।